गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान योजना

संक्षिप्त परिचय

प्रदेश की निर्यातक इकाइयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैंड कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रचलित व्यवस्था |

जारी शासनादेश-एक नजर में

एक्सपोर्ट फ्रेट प्रतिपूर्ति योजना

(क) GO 916 /18–4–99–18 (बजट–
4) /99 दिनांक 14 जुलाई1999

(ख) GO 2600/18–4–99–18 (बजट–
4) /99 दिनांक 14 सितम्बर 1999

गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान योजना

(क) GO 668 /18–4–2008-- (बजट)
/2007 दिनांक 06 –2–2008

(ख) GO 22/2015/18–4–2015--
10(बजट) /2007 दिनांक 25 अगस्त
2015

(ग) GO 298/18–4–2022-10 (बजट)
/07 दिनांक 13 मई2022

निवर्तमान/अद्यतन व्यवस्था-तुलनात्मक परिदृश्य

- GO-22/2015/18-4-2015-10(बजट) /2007 दिनांक 25 अगस्त 2015 के द्वारा प्रचलित

- **पात्र इकाइयाँ**
  - सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकरण
  - निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकरण
  - DGFT में IEC धारक

- GO 298/18-4-2022-10 (बजट) /07 दिनांक 13 मई2022 के द्वारा लागू

- **पात्र इकाइयाँ**
  - सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकरण
  - निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकरण
  - DGFT में IEC धारक

निवर्तमान/अद्यतन व्यवस्था-तुलनात्मक परिदृश्य

निवर्तमान व्यवस्था	**अद्यतन व्यवस्था**
इनलैंड कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से उत्पादित माल गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य	उत्पादित माल इनलैंड कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन के **अतिरिक्त ट्रक अथवा कुछ भाग ट्रक व् शेष भाग इनलैंड कंटेनर डिपो से भेजे जाने** पर भी प्रतिपूर्ति अनुमन्य

निवर्तमान/अद्यतन व्यवस्था-तुलनात्मक परिदृश्य देय वित्तीय प्रोत्साहन

निवर्तमान व्यवस्था

(क) कुल व्यय भाड़े का २५ % अथवा 20 फीट कंटेनर हेतु रु 6,000

(ख) 40 फीट कंटेनर हेतु रु 12,000 जो भी कम हो

(ग) प्रति निर्यातक इकाई /वर्ष /अधिकतम प्रोत्साहन सीमा - रु 12 लाख

अद्यतन व्यवस्था

(क) कुल व्यय भाड़े का २५ % अथवा 20 फीट कंटेनर हेतु रु 10,000

(ख) 40 फीट कंटेनर हेतु रु 20,000 (जो भी कम हो)

(ग) प्रति निर्यातक इकाई /वर्ष /अधिकतम प्रोत्साहन सीमा - रु 20 लाख

निवर्तमान/अद्यतन व्यवस्था-तुलनात्मक परिदृश्य प्रतिनिधानित समिति

निवर्तमान व्यवस्था

- जिलाधिकारी –अध्यक्ष
- उपायुक्त उद्योग –सदस्य सचिव
- प्रबंधक (निर्यात) ,जिला उद्योग केंद्र – सदस्य
- जनपद के प्रमुख निर्यातक इकाइयों के तीन प्रतिनिधि –सदस्य
- प्रभारी ,इनलैंड कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशन -सदस्य

अद्यतन व्यवस्था

- निर्यात आयुक्त ,निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो – अध्यक्ष
- आयुक्त /अपर आयुक्त ,व्यापर व् GST ,उ.प्र-सदस्य
- निदेशक कृषि विपदनएवं विदेश व्यापार विभाग ,उ,प्र,-सदस्य
- प्रतिनिधि ,कांकोर-सदस्य
- निदेशक ,उ.प्र.निर्यात संवर्धन परिषद – सदस्य
- संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त ,निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो –सदस्य सचिव

निवर्तमान/अद्यतन व्यवस्था-तुलनात्मक परिदृश्य प्रक्रियात्मक परिवर्तन

- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला users समिति की बैठक मे प्राप्त ऑनलाइन दावो को उपयुक्तता के आधार अनुमोदित /निरस्त किये जाने के आधार पर ऑनलाइन संस्तुत दावो को निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा DBT के माध्यम से उपादान प्रेषण किया जाता है

- जिला users समिति की व्यवस्था समाप्त

- उपायुक्त उद्योग को प्राप्त ऑनलाइन दावो का परीक्षण करते हुए समयबद्ध संस्तुति प्रेषित करनी है

अद्यतन व्यवस्था अंतर्गत संस्तुति की प्रक्रिया /समयसीमा

सम्बंधित संस्था	प्रावधान	समय सीमा
निर्यातक इकाई	ऑनलाइन दावा फाइल करने की तिथि	शिपमेंट की तिथि से 180 दिन
निर्यातक इकाई	ऑनलाइन दावा में संशोधन	आवेदन की तिथि से 15 दिन
उपायुक्त उद्योग	पूर्ण दावों का निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारण / अपूर्ण दावों को निर्यातक इकाई को वापस किया जाना	पोर्टल पर दावा प्रदर्शित होने के 21 दिनों के अंदर
निर्यातक इकाई	अपूर्ण दावों की कमियों का निराकरण	उपयुक्त उद्योग द्वारा दावा वापस किये जाने के 15 दिवस के अंदर
उपायुक्त उद्योग	निर्यातक इकाई द्वारा पुनः संशोधित दावा अपलोड किये के उपरांत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारण	संशोधित दावा प्राप्त होने के 21 दिवस के अंदर
उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित सीमा में दावो का अग्रसारण न किये जाने की स्थिति में दावें स्वत: निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे		

प्रक्रिया अंतर्गत वांछित अभिलेख

इनलैंड कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से माल भेजे जाने की स्थिति में

- एक्सपोर्टर इनवॉइस
- शिपिंग बिल
- बिल ऑफ़ लेडिंग
- फ्रेट रसीद
- बैंक रियलाईजेशन सर्टिफिकेट

प्रक्रिया अंतर्गत वांछित अभिलेख

ट्रक अथवा कुछ भाग ट्रक व् शेष भाग इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से भेजे जाने की स्थिति में

- एक्सपोर्टर इनवॉइस
- इ-वे बिल
- लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग
- GST बिल
- ट्रांसपोर्टर बिल
- ट्रांसपोर्टर बिल्टी
- शिपिंग बिल
- बिल ऑफ़ लेडिंग
- टोल रसीद(फ़ास्टटैग स्टेटमेंट)
- शपथ पत्र
- पैकेजिंग लिस्ट

THANK YOU